कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

क्रं- 1436 / JJM / 2025-26 / 174 दिनाँक-24/05/2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-22/05/2025 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला NIC सभागार में की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण,DPMU वदोनोंफर्मवेलस्पन व VTL,डी0पी0आर0ओ0,आर0एफ0ओ0,अधिशासी अभियन्ता विद्युत अकबरपुर व MIS मैनेजर जिला समन्वयक कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में वेलस्पन एवं VTL कम्पनी के मैनेजर एवं अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न निर्देश दिए गये-

1. यह कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि OHT के निर्माण का विवरण जो पोर्टल पर अपडेट किया गया है उसमें VTL के 08 तथा वेलस्पन के 08 कुल 16 का अन्तर पाया गया। दोनों फर्मो को निर्देशित किया गया कि इसे यथाशीघ्र करके पोर्टल पर OHT के विवरण को सही करें।
2. यह की VTLद्वारा 10166 कि0मी0 के सापेक्ष 9518 कि0मी0 के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जबकि पोर्टल पर 9880 कि0मी0 की प्राप्ति का विवरण प्रदर्शित है इस प्रकार लगभग 286 कि0मी0 का अन्तर पाया गया निर्देशित किया गया की 286 कि0मी0 अन्तर के लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए ।
3. यह की हर घर जल सर्टिफिकेशन एक सप्ताह में मात्र 02 राजस्व ग्राम में किया गया है जो बहुत कम है इसमें वृद्धि किया जाना सुनिश्चित करें ।
4. यह की FHTC में पाया गया कि 15000 परिवारों का टैप कनेक्शन घर के बाहर किया गया है इसका परिवारों से संतुष्टि प्रमाण पत्र लेकर प्रस्तुत किया जाए।
5. यह की रोड रेस्टोरेशन में डी0पी0आर0ओ0 द्वारा O&M की 17 पेयजल परियोजनाओं का सत्यापन करके पायी गयी कमियों को पूर्ण कराने हेतु अधिशाषी अभियंता जल निगम को इस आशय से प्रेषित किया है कि वह कम्पनी के माध्यम से कमियों को पूर्ण कराकर के प्रधान/पंचायत सहायक से प्रमाण पत्र लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
6. यह कि अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण दोनों फर्मो से प्रत्येक ब्लॉक से एक पूर्ण की गयी पेयजल योजना की सूची प्रस्तुत की जाए।
7. यह कि उमरामीनापुर परियोजना में स्थित वृक्षों का मूल्यांकन जो वन विभाग द्वारा किया गया है उसके आधार परनीलामी कराकर धनराशि को जमा कर नियमानुसार वृक्षों के पतन की कार्यवाही की जाए ।
8. ISA द्वारा अवगत कराया गया की विशेष सचिव के निरीक्षण किए जाने हेतु ग्राम पंचायत में यदि कोई परिवार टैप कनेक्शन से संतृप्त नहीं है इसे प्रत्येक दशा में पूर्ण कराया जाए।
9. भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण में रूचि न लेने और सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से समन्वय न करने पर ड्रिस्ट्रिक्ट क्वाडिनेटर के विरूध शासन को पत्र लिखने के लिए अधिशासी अभियन्ता जल निगम को निर्देश दिए गए है।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

23/05/2025

अधिशाषीअभियन्ता/सदस्य सचिव
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. जिला विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
4. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
5. अधिशाषीअभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
6. समस्त ISA संस्था एवं ISA कोर्डिनेटरअम्बेडकरनगर को इस आशय के साथ कि समस्त सूचनाओं के साथ बैठक में प्रतिभाग करने हेतु।
7. समीक्षा बैठक मे जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर को VC के माध्यम से प्रतिभाग करने हेतु।
8. MIS मैनेजर जिला समन्वयक कौशल विकास को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. वेलस्पन एवं VTL कम्पनीअम्बेडकरनगरकोअनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर